(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1581/दो/2002 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-6-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 41/1991-92 अपील

1- धर्मपाल सिंह 2- रामपाल सिंह

3- महावीर सिंह 4- पँचराज सिंह

ग्राम खैर तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

उमाप्रताप सिंह पुत्र राघोभान सिंह

ग्राम खैर तहसील सिरमौर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी वर्ष 1984 के सरल क्रमांक 59 पर आदेश दिनांक 25-6-1983

से उभय पक्ष के बीच भूमि का नामांत्रण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीयं अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 18 अ-6/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-87 से राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 25-6-83 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील सिरमौर की ओर पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-3-1991 पारित किया एंव पक्षकारों के बीच भूमि का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 110/1990-91 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 22-11-1991 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार शाहपुर तहसील सिरमौर का आदेश दिनांक 30-3-1991 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 41/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2002 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण एंव अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है। परिवार के बीच विभाजन पूर्वजों के कार्यकाल में लगभग 65-66 वर्ष पूर्व हो चुका है एंव मौके पर विभाजन में प्राप्त भूमियों पर आवेदकगण एंव अनावेदक काविज होकर खेती करते आ रहे हैं केवल सरकारी कागजात में नाम का फार्मल अमल होना था जिसे नायव तहसीलदार सिरमौर ने जॉच कर एंव पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-3-1991 से सरकारी कागजात में नाम चढ़ाया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण में आये तथ्यों से हटकर आदेश दिनांक 22-11-1991 पारित किया है एंव अनावेदक को लाभ पहुंचाया है इसलिये सामिलाती परिवार की भूमि पर नायव तहसीलदार द्वारा किये गये अमल को

यथावत् रखा जाकर अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया जाय । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जो भूमि अनावेदक को पटटे पर मिली थी नायव तहसीलदार ने अनावेदक की निजी भूमि को आवेदकगण के हिस्से में नामान्त्रित करने की त्रृटि की थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने नायव तहसदीलदार के आदेश को त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के प्रकरण कमांक 110/1990-91 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 22-11-1991 के पैरा तीन में वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार विवेचना की गई है -

" जब भूमि शासकीय थी तो शासकीय भूमि का हिस्सा बांट किस आधार पर किया गया। हिस्सा बांट स्वामित्व की भूमियों का किया जाता है न कि शासकीय भूमि का। विवादित भूमियों का व्यवस्थापन दिनांक 29-12-81 को अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है यदि वास्तव में विवादित भूमि पर उत्तरवादीगण का भी हित था तो उन्हें व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये उसके आधार पर यदि उन्हें पात्रता थी तो अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें संतुष्ट किया जाता किन्तु उत्तरवादीगण ने न तो व्यवस्थापन के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत किया और न ही जब राजस्व निरीक्षक शाहपुर के पंजी में नामान्तरण कराया तब अपीलार्थी को सूचना नहीं दिया जिससे नामान्तरण की कार्यवाही नियम विरूद्ध थी। "

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों का भलीभॉति विवेचना कर आदेश दिनांक 22-11-1991 में निष्कर्ष निकाले है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 41/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2002 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर आयुक्त के आदेश

दिनांक 25-6-2002 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा आदेश दिनांक 22-11-19 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण उनके आदेशों में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 41/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2002 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर